



Hkkj r l jdkj
[kku ea=ky;
Hkkj rh; [kku C; ij kj
{ks=h; [kku fu; a=d dk; kZy;
f}rh; ry] th0 , l 0 vkbD OhYM Af'k{k.k dln] egkys[kkdkj dk; kZy; ij l j j
i klV&fo/kkul Hkkj jk; ij &492005 %NUkhl x<#
Oku , oa QDI &0771&2282530] 2285590/95 b&esy% ro.raipur@ibm.gov.in



No- CHG/RAP/LST-71/NGP

खान कोड- 38CHG14019

fnukad%&06.04.2022

प्रेषित-

श्री अखेराज लुनिया, पट्टेदार,
फरहदा चुनापथर खान,
302, कमला अपार्टमेंट, मालवीय नगर,
पोस्ट-दुर्ग, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ -491001
ईमेल-nalinandasso@yahoo.com

बिसय: छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाजार जिले में स्थित आपके फरहदा चुनापथर खदान 21.373 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 17/01/2022 को इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री विमल जैन, पट्टेदार का प्रतिनिधि कि उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

fu; e	mYy@ku ds i ndkj dk foLr r C; kJ k
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2020-21.
45(5)(C)	While scrutiny of annual return for financial year 2020-21 following discrepancies are observed; i) At part – I of table no. 12, the lease area (surface area) utilization at the end of the year has not been furnished. ii) At part – III of table no. 2 (Royalty and Rents), the payment made to the State Govt. under the heads of Dead Rent & Surface Rent have not been mentioned. iii) At part-IV (Consumption of Explosive), the overburden removed (in Tonne) is furnished incorrectly. iv) At part-V (General Geology & Mining), updated reserves and resources at the end of the year are furnished incorrectly.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत।

- (क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या वार्षिक में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक भुगतान करना होगा।
(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 26(2) का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

04. अतः आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 45(5)(C) का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने के दिनांक से उपरोक्त दिवस के भीतर कारण बताए कि क्यो न (ख) खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जाए । (ग) आपके वीरुध अभियोग दायर की जाए । (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जाए ।

भवदीय

(देवदुर्लव दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़ ।
3. निदेशक (सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लाक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001 ।

(देवदुर्लव दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर